जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू

(ए.डी.आर सेन्टर, सिविल लाईन्स, कृषि भवन के पास)
(Phone: 01562-294594, E-mail Address : dlsa11churu@gmail.com)

क्रमांक :– जिविसेप्रा / मो.वाहन /   दिनांक :– 15.04.2024

कोटेशन के लिये अनुरोध क्रमांक 01

राजस्थान सरकारए विधि (ग्रुप–2) विभाग, की प्रासंगिक आज्ञा दिनांक 01.03.2024 एवं 02.04.2024 के अनुसरण में वित्त विभाग की आईडी संख्या 332400301 दिनांक 29.03.2022 एवं 332400490 दिनांक 29.03.2024 व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र कमांक 435–465 दिनांक 06.04.2024 के कम में इस कार्यालय में पदस्थापित सचिव को सम्पूर्ण जिले के क्षेत्राधिकार के लिये वाहन किराये पर लेने हेतु अधिकृत वाहन मालिकों / फर्मों / एजेन्सियों से दरें आमंत्रित की जाती है। कोटेशन प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त / देखे जा सकते है। कोटेशन हेतु निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति कर सलंग्न शर्तो सहित दिनांक 22.04.2024 को प्रातः 10:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। प्राप्त कोटेशन को उसी दिन दोपहर 12:00 बजे उपस्थित कोटेशनदाताओं / उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी कोटेशन को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार इस हेतु गठित उपापन समिति को होगा।

sd-
अध्यक्ष
लोक उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चूरू

क्रमांक : जिविसेप्रा / मो.वाहन / 1249   दिनांक : 15.04.2024
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू
3. लेखा शाखा, जिविसेप्रा, चूरू
4. सूचना बोर्ड, कार्यालय जिविसेप्रा, चूरू / जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू
5. सिस्टम ऑफिसर, चूरू (जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)

15/4/24
अध्यक्ष
लोक उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चूरू

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू

(Phone : 01562-294594, E-mail address : dlsa11churu@gmail.com)

कोटेशन के लिये अनुरोध क्रमांक 01 दिनांक 15.04.2024 के लिये नियम व शर्ते

1. कोटेशन में स्पष्ट व सुपाठ्य होने चाहिये, परिवर्तन व कांट छांट की स्थिति में पुनः स्पष्ट लिख कर हस्ताक्षर करें।
2. कोटेशन फर्म के लिफाफे पर ''सचिव के लिये किराये के वाहन की व्यवस्था" अंकित करें।
3. कोटेशन द्वारा सलंग्न किये गये समस्त विवरण/डॉक्यूमेन्ट को भली भांति जांच कर सलंग्न करें।
4. किसी भी त्रुटिपूर्ण कोटेशन को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।
5. फर्म, वाहन मालिक, ट्रेवल एजेन्सी के पास स्वयं के नाम का टैक्सी परमिट पंजीकृत वाहन के उपयोग हेतु उपलब्ध होना आवश्यक होगा। कोटेशन के समय प्रस्तुत किये गये वाहन संख्या तथा मॉडल ही किराये हेतु उपलब्ध करवाना होगा।
6. वाहन से संबंधित पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र/प्रदुषण प्रमाण पत्र/ बीमा वाहन मालिक के नाम से होना चाहिये तथा वाहन सवारी व सामान सहित पूर्ण जोखिम का बीमाशुदा व रोड़ टैक्स का पूर्ण भुगतान किया हुआ होना चाहिये।
7. वाहन किराये का भुगतान वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021, 05.04.2022 एवं 03.10.2023 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार तथा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा एवं दरों के अधीन किया जायेगा।
8. कोटेशन की दरें वित्तीय वर्ष 2024–2025 (28.02.2025 तक) या आगामी आदेश जो भी पहले हो तक होगी तथा दोनों पक्षों की सहमति से अवधि बढाई जा सकेगी।
9. वाहन से संबंधित सभी प्रकार के खर्चे यथा पीओएल, वाहन चालक का मानदेय, वाहन की मरम्मत आदि समस्त व्यय कोटेशनदाता को वहन करना होगा। इस कार्यालय द्वारा वाहन किराये हेतु अनुमोदित दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई व्यय भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. टोल टैक्स का भुगतान प्रथमतः कोटेशनदाता द्वारा किया जायेगा, जिसका पुनर्भरण रसीद प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
11. अनुबन्ध की अवधि के दौरान वाहन में होने वाली किसी प्रकार की क्षति/चालान/दुर्घटना के लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
12. कोटेशनदाता द्वारा वाहन में आवश्यक समस्त मरम्मत कार्य तुरन्त करवाने होगें। वाहन के मरम्मत व रख रखाव संबंधी कार्य इस कार्यालय में अवकाश के दिवस को ही करवाने होगें। निविदादाता द्वारा किसी कार्य दिवस को मरम्मत करवाये जाने पर अन्य वाहन उपलब्ध करवाना होगा। अन्य वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में बाजार से किराये पर वाहन लेकर काम लिया जायेगा, जिसकी कटौति कोटेशनदाता के बिल से की जायेगी।
13. सफल कोटेशनदाता इस कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म को सबलेट नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने की स्थिति में प्ररफोमेन्श सिक्योरिटी की राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. कोटेशनदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन चालक का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव तथा वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिये।
15. उपलब्ध करवाया गया वाहन छह वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा वाहन अच्छी कंडीशन में होना चाहिये।
16. कोटेशनदाता को किराये के वाहन की नियमित रूप से साफ सफाई करवानी होगी।
17. कोटेशनदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये प्रत्येक वाहन की लोक बुक संधारित करनी होगी तथा लॉग बुक का सत्यापन प्रभारी अधिकारी से करवाना होगा।
18. वाहन किराये का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा। निविदादाता को मासिक बिल मय लॉग बुक की प्रमाणित प्रति दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी तथा नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौति की जायेगी।
19. किराये पर उपलब्ध करवाये गये वाहन पर इस कार्यालय के निर्देशानुसार फलेक्स/पेन्टेड स्लोगन प्रदर्शित अनिवार्य होगा तथा वाहन पर राजकीय अनुबन्ध पर होने की प्लेट लगवानी होगी।
20. कोटेशनदाता द्वारा वाहन कार्यालय समय में उपलब्ध करवाना होगा तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
21. सफल कोटेशनदाता को निर्धारित प्रारूप में पांच सौ रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करवाना होगा।
22. कोटेशनदाता का कार्य विभाग के मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
23. कोटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्म/मालिक सतर्कता जांच से मुक्त होना चाहिये तथा किसी भी विभाग से ब्लेकलिस्टेड नहीं होना चाहिये।
24. कोटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।
25. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र चूरू जिला मुख्यालय होगा।

नोट :–

1. मैं/हमने उक्त कोटेशन की शर्तो व नियमों का भली भांति अध्ययन कर लिया है तथा उपरोक्त वर्णित शर्तो को स्वीकार करता हूँ/करते है।
2. यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है या प्रतिकूल पाई जाती है तो मेरी/हमारी परफोरमेंस सिक्योरिटी जब्त कर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाये।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू

(ए.डी.आर सेन्टर, सिविल लाईन्स, कृषि भवन के पास)
(Phone : 01562-294594, E-mail address : dlsa11churu@gmail.com)

कोटेशन प्राप्त करने की तिथि : दिनांक : 22.04.2024 समय 10:00 एएम तक
कोटेशन खोलने की तिथि : दिनांक : 22.04.2024 समय 12:00 पीएम

कार्य का नाम : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू हेतु किराये के वाहन की व्यवस्था।

1. कोटेशन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम व पता ....
....
2. दूरभाष नम्बर ....

कोटेशनदाता द्वारा भरा जावे

क्र.सं.	निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/दस्तावेज की छाया प्रति आवश्यक रूप से सलंग्न करें।	
1.	वाहन के मालिक का पैन कार्ड	
2.	वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र	
3.	वाहन चालक का लाईसेन्स	
4.	वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र व प्रदुषण जांच का प्रमाण पत्र	
5.	वाहन की बीमा का प्रमाण पत्र (वाहन चालक व सवारी सहित)	
6.	टेक्सी परमिट	
7.	टैक्स जमा होने का प्रमाण पत्र	

क्र.सं.	वाहन मालिक का नाम	पता	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन निर्माण वर्ष

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर

किराये की मासिक दरें

दर का आधार	दर (रूपये में)
अधिकतम 2000 किलोमीटर संचालन हेतु	अंको में .... शब्दों में ....

सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां सलंग्न कर दी गई है।

नोट :–

1. मैं/हमने उक्त कोटेशन की शर्तो व नियमों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तो व नियमों को स्वीकार करता/करती हूॅ/करते हैं।
2. मैं/हम उपरोक्त कार्य के लिये हमारी फर्म द्वारा दी गई दर (सभी करों एवं खर्चो सहित) पर कार्य करने को सहमत हूॅ।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर